न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 133/15

GCMS id : 2015 / 00104

किशनचन्द आत्मज लदूर व माता श्रीमती दाखां बाई, जाति धाकड, निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

— (वादी)

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

— (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज०टी०ए०
रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राज०टी०ए०

उपस्थिति : श्री दीनानाथ गालव, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 18.06.2024

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा व राजस्व अभिलेख की इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया जिस पर सुनवाई उपरान्त दिनांक 27.05.2024 को निर्णय व डिक्री जारी की गई, जिसको रिव्यू किये जाने हेतु प्रतिवादी (तहसीलदार) की ओर से एक रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया।

2- रिव्यू प्रार्थना पत्र में निवेदन निवेदन किया गया कि —

~ वादी ने प्रार्थना की थी कि उसकी माता श्रीमती दाखां बाई के खाते, आराजी खसरा नम्बर 312 की 2 बीघा 12 बिस्वा दर्ज थी। सेटलमेन्ट उपरान्त उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 293 रकबा 0.19 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 294 रकबा 0.09 हैक्टर कायम किये गये जबकि गत रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा के अनुसार कुल रकबा 0.41 हैक्टर बनता है। खसरा नम्बर 293 को वादी के खाते दर्ज न करके सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः गत आराजी के मुकाबले कम हुये रकबे की पूर्ति कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

~ प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से पेश जवाब दावा मय तथ्यात्मक रिपोर्ट में अवगत कराया गया था कि ग्राम दीपपुरा के सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नम्बर 312 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा के मैट्रिक पद्यति से 0.41 हैक्टर बनते है। साबिक खसरा नम्बर 312 के हाल खसरा नम्बर 293 रकबा 0.19 हैक्टर, 294 रकबा 0.09 हैक्टर बने है। सेटलमेन्ट द्वारा 0.13 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया गया है। गत खसरा नम्बर 312 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 293 रकबा 0.19 हैक्टर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है, जिसकी किस्म गैरमुमकिन नाला है।

~ ग्राम दीपपुरा के हाल खसरा नम्बर 295 रकबा 0.38 हैक्टर वर्तमान में सिवायचक मदर्ज रिकार्ड है जो साबिक खसरा नम्बर 311 रकबा 15 बिस्वा से बना है, जिसका रकबा मेट्रिक प्रणाली के अनुसार 0.12 हैक्टर बनता है तथा वादी वर्तमान में खसरा नम्बर 294 व 295 पर काबिज काश्त है।

~ माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री दिनांक 27.05.2024 में वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 293 रकबा 0.19 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 295 रकबा 0.38 हैक्टर में से 0.14 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

~ माननीय न्यायालय के आदेश पर अमल दरामद किये जाने के दौरान मौका व

Kishanchand.Sarkar

ACM(HQ) Kota

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर हल्का पटवारी द्वारा अवगत कराया गया कि खसरा नम्बर 293 रकबा 0.19 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक किस्म गैरमुमकिन नाला दर्ज है तथा मौके पर भी नाला दर्ज है। इस कारण माननीय न्यायालय के निर्णय पर अमल दरामद किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से पेश जवाब दावा मय तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया गया था कि खसरा नम्बर 295 रकबा 0.38 हैक्टर वर्तमान में सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जो साबिक खसरा नम्बर 311 रकबा 15 बिस्वा से बना है, जिसका रकबा मेट्रिक प्रणाली के अनुसार 0.12 हैक्टर बनता है तथा वादी वर्तमान में खसरा नम्बर 294 व 295 पर काबिज काश्त है।

~ अतः निवेदन है कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2024 को रिव्यू करने का श्रम करें।

3- प्रतिवादी सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की ओर से पेश रिव्यू प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी प्रतिवादी को सुने जाने के उपरान्त कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी के गत खसरा नम्बर 312 की 2 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादी की माता दाखां बाई के खाते दर्ज रिकार्ड थी। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल दौराने सेटलमेन्ट गत खसरा नम्बर 312 से नया खसरा नम्बर 29 रकबा 0.19 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 294 रकबा 0.09 हैक्टर कायम किया गया है, जिसमें से खसरा नम्बर 294 ही वादी के खाते दर्ज है तथा खसरा नम्बर 293 को सिवायचक नाला दर्ज है तथा मौके पर भी नाला दर्ज है। प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम दीपपुरा के सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नम्बर 312 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा के मेट्रिक पद्धति से 0.41 हैक्टर बनते है। सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 311 रकबा 15 बिस्वा था जिसका मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 0.12 हैक्टर बनता है लेकिन खसरा नम्बर 311 से बना नया खसरा नम्बर 295 का वर्तमान रकबा 0.38 हैक्टर दर्ज किया हुआ है जो कि 0.12 हैक्टर न होकर सेटलमेन्ट से 0.38 हैक्टर दर्ज हुआ। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खसरा नम्बर 295 पर किशनलाल पुत्र लटुरलाल ही काबिज काश्त है जो कि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है।

उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 0:38 हैक्टर गत रकबा (15 बिस्वा बराबर 0.12 हैक्टर) को छोडते हुये शेष 0.26 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

4- रिव्यू प्रार्थना पत्र का यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 18.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

Kishanchand.Sarkar

मूल वाद में संशोधित डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7) एवं
धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

बउनवान :–

1. किशनचन्द आत्मज लटूर व माता श्रीमती दाखां बाई, जाति धाकड, निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 89 RTA
मुकदमा नम्बर : 133 / 15 GCMS id : 2015 / 00104
निर्णय दिनांक : 18-06-2024

न्यायालय हाजा में प्रार्थी प्रतिवादी सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 229 के अन्तर्गत पेश रिव्यू प्रार्थना पत्र की सुनवाई उपरान्त आज तारीख 18–06–2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती सपना कुमारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 0.38 हैक्टर गत रकबा (15 बिस्वा बराबर 0.12 हैक्टर) को छोडते हुये शेष 0.26 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई / टंकित करावाई जाकर आज तारीख 18 जून, 2024 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

18/6/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	